आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Department of Ex-Servicemen Welfare (ECHS)

Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS)

ईसीएचएस पूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और उनके पात्र आश्रितों को पॉलीक्लिनिक, सेवा अस्पतालों और सूचीबद्ध अस्पतालों के ज़रिए कैशलेस एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा देता है। सदस्य रैंक के अनुसार एक बार का अंशदान देते हैं।

क्या मिल सकता है

सदस्य, पति या पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में कैशलेस बाह्य रोगी इलाज और सेवा, सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती इलाज। ईसीएचएस साइट के अनुसार आयु या बीमारी की कोई रोक नहीं है, इलाज पर रकम की सीमा नहीं है, और गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में आपातकालीन इलाज का खर्च सीजीएचएस दरों पर लौटाया जाता है।

किसके लिए है

सेवा, विकलांगता या पारिवारिक पेंशन पाने वाले पूर्व सैनिक, और उनके पति या पत्नी, बच्चे तथा आश्रित माता-पिता जो आश्रितता के नियम पूरे करते हों।

मुख्य शर्तें

- सदस्य के पास पूर्व सैनिक का दर्जा होना चाहिए और वह सामान्य सेवा, विकलांगता या पारिवारिक पेंशन पा रहा हो। जो केवल विकलांगता वाला हिस्सा पाता है और सेवा पेंशन नहीं पाता, वह पात्र नहीं है।
- पति या पत्नी, वैध बच्चे और पूरी तरह आश्रित माता-पिता शामिल हैं। आश्रित की सभी स्रोतों से आय पुस्तिका में तय 9,000 रुपये और महँगाई राहत की सीमा के भीतर रहनी चाहिए।
- बेटा तब तक शामिल रहता है जब तक वह कमाने न लगे, 25 साल का न हो जाए या शादी न कर ले। अविवाहित और बेरोज़गार बेटी शामिल है, और कमाने में असमर्थ विकलांग बेटा या बेटी बताई शर्तों पर जीवन भर शामिल रह सकते हैं।
- सौतेले माता-पिता और पूर्व सैनिक के जीवनसाथी के माता-पिता को आश्रित के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता।
- एक बार का अंशदान देना होता है: रंगरूट से हवलदार तक के लिए 30,000 रुपये, नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक के लिए 67,000 रुपये और अधिकारियों के लिए 1,20,000 रुपये। युद्ध विधवाएँ, युद्ध में विकलांग, युद्ध हताहत और 1 जनवरी 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोग इससे मुक्त हैं।

दस्तावेज़

- पेंशन का ब्योरा और, जहाँ लागू हो, स्थायी चिकित्सा भत्ता बंद होने का प्रमाण देने वाला बैंक या डीपीडीओ प्रमाणपत्र
- चिकित्सा रसीद आदेश (एमआरओ) की प्रति, यदि लागू हो
- पीपीओ या पेंशन बुक और सेवा डिस्चार्ज बुक की प्रति, जिनमें आश्रितों का ब्योरा हो

आवेदन कैसे करें

1. ईसीएचएस वेबसाइट से जुड़े स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार सही श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन भरें।
2. उसी श्रेणी में एक बार का अंशदान ऑनलाइन जमा करें, यदि आप छूट वाली श्रेणी में नहीं हैं।
3. बैंक या डीपीडीओ प्रमाणपत्र, लागू हो तो एमआरओ की प्रति, और आश्रितों का ब्योरा दिखाने वाली पीपीओ या पेंशन बुक व डिस्चार्ज बुक अपलोड करें।
4. कार्ड बनने के बाद अपने मुख्य पॉलीक्लिनिक से इलाज कराएँ। किसी भी परेशानी में टोल-फ्री नंबर 1800-114-115 पर बात करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://desw.gov.in/index.php/en/about-echs
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/echs-ex-servicemen-contributory-health-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।